

## अध्याय - 13

दस्तावेजीकरण - प्रस्ताव अवस्था: 2

पालिसी अवस्थाएं तथा विशेषाधिकार

### 1. राहत अवधि

◌: 'राहत अवधि' का क्लोज प्रीमियम देय तिथि के पश्चात भी पालिसीधारक को प्रीमियम भुगतान के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करता है।

◌: 'राहत अवधि' की मानक सीमा एक माह या 31 दिन होती है।

### 2. पुनर्चलन

◌: यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवन बीमा कम्पनी उस पालिसी को पुनः संचालित करती है जो या तो प्रीमियम भुगतान न करने के कारण समाप्त कर दी गयी हो या किसी नान-फारफीचर प्रावधानों के कारण जारी की गयी हो।

### 3. पालिसी पुनर्चलन के मानदण्ड

(क) साधारण पुनर्चलन

(ख) ऋण बनाम पुनर्चलन

(ग) विशेष पुनर्चलन

(घ) किश्त पुनर्चलन

### 4. नामांकन

नामांकन में बीमित जीवन व्यक्ति (यों) के नाम प्रस्तावित करता है जिन्हें कि बीमित जीवन की मृत्यु होने पर बीमा राशि का भुगतान किया जाना चाहिए।

◌: नामिती को पूर्ण (या आंशिक) रूप से दावा करने का अधिकार नहीं है।

### 5. धारा 39 के प्रावधान (नामांकन)

◌: नामांकन पालिसी खरीदने के समय या उसके पश्चात किया जा सकता है।

◌: विवाहित महिला सम्पत्ति अधिनियम की धारा 6 अन्तर्गत नामांकन लागू नहीं है।

◌: पालिसी राशि का भुगतान जीवित नामितियों को किया जाता है।

◌: नामांकन में नाम जोड़ना, परिवर्तन करना और रद्द करना अनुमत है।

◌: पृष्ठांकन के द्वारा नामांकन किया जाएगा।

## 6. समनुदेशन

◌: समनुदेशन सामान्तया लिखित में सम्पत्ति का हस्तांतरण दर्शाता है जो डिलीवरी द्वारा हस्तान्तरण से भिन्न है।

## 7. समनुदेशन

(क) सशर्त समनुदेशन:

◌: सशर्त समनुदेशन के अन्तर्गत परिपक्वता की तिथि तक बीमित जीवन की विद्यमानता पर या समनुदेशिनी की मृत्यु पर पालिसी बीमितजीवन को वापस कर दी जायेगी।

(ख) पूर्ण समनुदेशन

◌: पूर्ण समनुदेशन के अन्तर्गत अधिकार, स्वामित्व तथा पालिसी के अन्तर्गत समनुदेशन के हित स्थायी रूप से समनुदेशिनी के नाम हस्तान्तरित कर दिये जाते हैं जोकि किसी भीघटना में समनुदेशक को वापस नहीं किए जा सकते।

◌: पालिसी पूर्णतया समनुदेशिनी के पक्ष में निहित होती है। समनुदेशिनी समनुदेशक की अनुमति के बिना पालिसी का उपयोग अपने ढंग से कर सकता है।

## 8. धारा 38 के प्रावधान (समनुदेशन)

(क) समनुदेशन पृष्ठांकन के द्वारा किया जाता है।

(ख) समनुदेशन का नोटिस लिखित में होना चाहिए।

(ग) बीमा-कम्पनी को समनुदेशन का रिकार्ड एवं पंजीयन करना चाहिए।

(घ) समनुदेशन नामांकन को रद्द कर देता है।

(ङ) समनुदेशन विचार-विमर्श द्वारा समर्थित होना चाहिए।

(च) समनुदेशिनी एक अन्य समनुदेशन कर सकता है।

## 9. परिवर्तन के मुख्य प्रकार

(क) बीमा राशि कुछ खास वर्गों या अवधि में परिवर्तन।

(ख) बीमा राशि में कमी।

(ग) प्रीमियम भुगतान विधि या अवधि में परिवर्तन।

(घ) पालिसी प्रारम्भ होने की तिथि में परिवर्तन।

(ङ) पालिसी को दो या अधिक पालिसियों में तोड़ना।

(च) अतिरिक्त प्रीमियम या प्रतिबन्धित क्लेम को हटाना।

(छ) लाभ-रहित योजना से लाभ-सहित योजना में परिवर्तन करना।

(ज) नाम में शुद्धिकरण।

(न) दावा भुगतान के लिए निपटारे का विकल्प तथा दो गुने दुर्घटना लाभ की स्वीकृति।